

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में सूचना**

उप सेक्शन	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4(b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	<p>मेमू कार शेड मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स) कारों की निवारक और ब्रेकडाउन रखरखाव गतिविधियों से संबंधित है और असेंबली / सब-असेंबली के ओवरहालिंग से संबंधित है और इसका नेतृत्व वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर द्वारा किया जाता है।</p> <p>कार्य और कर्तव्य:</p> <p>ए) अनुसूची निरीक्षण अर्थात ट्रिप अनुसूचियां, आईए अनुसूचियां, मेमू रेक की आईसी अनुसूचियां।</p> <p>ख) कोचों की सफाई / धुलाई।</p> <p>ग) कोचों की गियर परीक्षा के तहत।</p> <p>घ) मेमू कोचों की मरम्मत का समय-निर्धारण और लिफ्टिंग एटेंशन।</p> <p>ई) पीओएच के बाद सभी कोचों का एटेंशन।</p> <p>च) समय-समय पर निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार मेमू रेक के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को संभालना।</p> <p>छ) ट्रेन संचालन में सुरक्षा।</p> <p>ज) एमईएमयू सेवाओं में मितव्ययिता और दक्षता संगठन चार्ट अनुलग्नक-ए के रूप में यहां संलग्न है</p>
4(b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<p><u>अधिकारी: रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार अधिनियम और मेमू कोच के रखरखाव से संबंधित सभी कार्य करना</u></p> <p><u>कर्मचारी: सभी एमसीएस / आरजेवाई कर्मचारियों को समय-समय पर नियमावली, नियम पुस्तिकाओं, परिपत्रों आदि में निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत कर्तव्यों का पालन करना होता है।</u></p> <p><u>कर्तव्य</u></p> <p><u>ए) अनुसूची निरीक्षण अर्थात ट्रिप अनुसूचियां, आईए अनुसूचियां, मेमू रेक की आईसी अनुसूचियां।</u></p> <p><u>ख) कोचों की सफाई / धुलाई।</u></p> <p><u>ग) कोचों की गियर परीक्षा के तहत।</u></p> <p><u>घ) मेमू कोचों की मरम्मत का समय-निर्धारण और लिफ्टिंग</u></p>

		<p><u>एटेंशन।</u></p> <p><u>ई) पीओएच के बाद सभी कोचों का एटेंशन।</u></p> <p><u>च) समय-समय पर निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार मेमू रेक के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को संभालना।</u></p> <p><u>छ) ट्रेन संचालन में सुरक्षा।</u></p> <p><u>ज) मेमू सेवाओं में मितव्ययिता और दक्षता</u></p>
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी सामान्य और सहायक नियमों, रखरखाव नियमावली, दुर्घटना नियमावली, शक्तियों की अनुसूची, नीति परिपत्र / पत्र / निर्देश / संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	
4(b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी सामान्य और सहायक नियमों, रखरखाव नियमावली, दुर्घटना नियमावली, शक्तियों की अनुसूची, नीति परिपत्र / पत्र / निर्देश / संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
4(b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	
4(b)(vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	
(b)(viii)	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं। , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के	ऐसो कोई प्रावधान नहीं है.

	लिए सुलभ हैं।	
4(b)(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।	--
4(b)(x)	इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।	यह वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है। मद लेखा और कार्मिक विभागों के दायरे में है।
4(b)(xi)	अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैर, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।	एमसीएस/राजमंजूरी से संबद्ध नहीं है
4(b)(xii)	आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।	एमसीएस/राजमंजूरी से संबद्ध नहीं है
4(b)(xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	एमसीएस/राजमंजूरी से संबद्ध नहीं है
4(b)(xiv)	उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।	एमसीएस/राजमंजूरी से संबद्ध नहीं है
4(b)(xv)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।	एमसीएस/राजमंजूरी से संबद्ध नहीं है
4(b)(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	अपीलीय प्राधिकारी – रेलवे नं. : कार्यालय फोन नं. : रेलवे नं. कार्यालय नं. :
4(b)(xvii)	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों	एमसीएस/राजमंजूरी के लिए ऐसी कोई अन्य सूचना निर्धारित नहीं है।

	को अद्यतन किया जा सकता है।	
--	----------------------------	--


एमसीएस/राजमंड्री की गतिविधियां

अनुसूची निरीक्षण अर्थात ट्रिप अनुसूचियां, आईए अनुसूचियां, मेमू रक की आईसी अनुसूचियां।

कोच की सफाई / धुलाई  
कोचों की अंडरगियर परीक्षा।

सभी कोचों के पीओएच एटेंशन के बाद मेमू कोचों की अन शड्यूल मरम्मत तथा लिफ्टिंग एटेंशन.

क्र.सं.	अनुसूची प्रकार	आवधिकता
(i)	पिट लाइन पर अंडर-गियर परीक्षा/ब्रेक सिस्टम अटेंशन/बीपीसी नवीनीकरण	7 दिन या 3500 कि.मी., जो भी पहले हो।
(ii)	ट्रिप निरीक्षण	15 दिन
(iii)	आईए शड्यूल	60 (+ 0 / -5) दिन
(iv)	आईसी शड्यूल	240 (+ 0 / -10 ) दिन
(v)	पीओएच	18 माह
मेमू सेवाएं		
1	RJY-BZA	
2	BZA-GDR-TPTY	
3	TPTY-GDR-RU-GDR-BZA	
4	BZA-RJY-VSKP-COA	
5	COA-BZA-TEL-GNT-TEL-BZA-TEL-GNT	
6	GNT-TPTY-GNT	
7	GNT-BZA-BDCR-BZA-RJY	
8	RJY-BZA-OGL-GNT-BZA	
9	BZA-TEL-BZA-GNT-OGL-BZA-DKJ-KZJ	
10	KZJ-DKJ-BZA-GNT-BZA-BTTR	
1	BTTR-MAS-GDR	
1	GDR-BZA-COA	
1	COA-VSKP-VZM	
1	VZM-VSKP-CHE-PSA-VZM-VSKP-RJY	
1	BTTR-MAS-BTTR (MEMU Express 17237/17238)	



उपरोक्त के अतिरिक्त 01 सीसेइंजी/आ और 02 कार्यालय अधीक्षक मंविइंजी/एमसीएस/राजमंड्री के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।